

केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र.....  
पर आयंदा दिनांक... 08/06/2017 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर (पाली)

## राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व विविध सं. 4685/2015 प्रेमकुमार वगैरा बनाम:  
मंशाराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.  
एक्ट, 1955 एवं सपठित आदेश-39, नियम-1 व 2 सी.पी.सी.

दिनांक 08.06.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प-अटल सेवा केन्द्र खिमाडा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की मंशा के अनुरूप सुलभ न्याय हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत मामले में वर्णित वाद-विषयक स्थिति अनुसार व साक्ष्य-दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी खाता सं.28 संवत् 2070-73, गुमसुदा व्यक्ति रिपोर्ट इत्यादि पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि प्रश्नगत मामले में गत आदेश तालिका दिनांक 28.12.2015 के जरिए वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में वर्तमान राजस्व

लगाता-

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर (पाली)

राजस्व विविध सं. 4685/2015 प्रेमकुमार वगैरा बनाम:  
मंशाराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.  
एक्ट, 1955 एवं सपटित आदेश-39, नियम-1 व 2 सी.पी.सी.

रेकॉर्ड व मौका स्थिति को आगामी आदेश तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी, को संबंधित मूल वाद पत्रावली रा.वा. 1816/2015 के निर्णय होने तक यथावत् कायम रखना उचित समझते हैं।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत आंशिक स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खांगडी, पटवार सर्कल खिमाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 98, 99, 102, 103, 107, 108, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 कुल रकबा 17.49 हेक्टर के बारे में वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड एवं मौका स्थिति को संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 1816/2015 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 08.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प-अटल सेवा केन्द्र खिमाडा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 1816/2015 के साथ नष्टी हो।

**उपखण्ड अधिकारी**  
सुमेरपुर (पाली)

